

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल
संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
पोखरी रोड, बेलनी रुद्रप्रयाग,
उत्तराखण्ड - 246171



Office of the Executive Engineer,
Construction Division Uttarakhand
Peyjal Sansadhan Vikash Evam
Nirman Nigam, Pokhari Road, Belani
Rudraprayag Uttarakhand - 246171

Email ID :- cdukpnrpg@gmail.com

पत्रांक 4888 / वन भूमि / 346 दिनांक 06/12/2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

विषय: जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जल सोधन संयंत्र के निर्माण हेतु 0.09 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रुद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन। **PROPOSAL NO. FP/UK/WATER/149873/2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 956/12-1(2) दिनांक 14.09.2023 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/०९/२६/२०२२/एफ०सी०/१२७० दिनांक २३.१२.२०२२ के सन्दर्भ में अवगत कराई गई शर्तों का अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की गयी थी। आपके कार्यालय से दूरभाष के क्रम में उक्त अनुपालन आख्या संशोधित कर पुनः प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	शर्त	आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 180 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.18 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रति०वनी० के लिए 180 पौधों का रोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु रु० 80782.00 मात्र की धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा कर दी गई है (संलग्नक-1)।
(ख)	राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
(ग)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाइल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गई है (संलग्नक-1 के अनुसार)। उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) (संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.-2) दिनांक 18.09.2003, 05-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.09 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्ताव के तहत 0.09 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रु० 116357.00 मात्र की धनराशि जमा कर दी गई है (संलग्नक-1 के अनुसार)।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि हेतु बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-2)।
6 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8 एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9 नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
10 वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छासुर नहीं बदलेंगे।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
11 नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
12 राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17 सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings आंकित हो।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नवल कुमार)

अधिरासी अभियन्ता

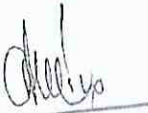
पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/श्री जीतेन्द्र सिंह रावत, कनिष्ठ अभियन्ता को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

अधिरासी अभियन्ता

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)			Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/WATER/149873/2021 Construction of Water Treatment Plant under Rudraprayag town existing gravity w/s scheme	WATER1498732021279	53149873279	23 Dec 2022	CA: 80782/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 116357/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 197139/-	Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Other Charges: 0/-		 Paid	Fund Demand Verified by :23 Sep 2023 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On :25 Sep 2023 Transaction Date :27 Sep 2023	Demand Letter


ASSITANT ENGINEER
 Co..struction Divison
 Uttarakhand Peyjalnigam
 Rudraprayag

11-SEP-23